



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1**लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 17 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 17 चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल ₹० 6,38,43,000/- (रूपये छः करोड़ अड़तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र०सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि० का पत्र संख्या	दिनांक
1	22018/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	25-05-2026
2	22110/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	26-05-2026
3	22230/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	29-05-2026

तालिका-2

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. जौनपुर	बरोली यादव बस्ती से जमुआ रानीपुर होते हुए मेंहदी गोदाम तक सम्पर्क मार्ग।	53 /2025/आई/ 863262/23-1-25/002-23-1002(002)/ 183/2024-दिनांक-27-01-2025	<u>43.49</u> <u>43.49</u> <u>26.51</u> <u>4.56</u> <u>38.93</u>	27.25	11.68	11.68
2	नि.ख. जौनपुर	मड़ियाहूँ मछलीषहर मार्ग से सरैया दलित	53 /2025/आई/ 863262/23-1-25/002-23-1002(002)	<u>43.49</u> <u>43.49</u> <u>26.70</u>	28.87	9.62	5.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		बस्ती से होते हुए ब्राह्मण बस्ती से रामपुर तक मार्ग	/183/2024-दिनांक-27-01-2025	<u>5.00</u> <u>38.49</u>			
3	नि.ख.-3 गाजीपुर	गोडउर बैंक से चमरारी मिश्रबलिया होते हुए मूसरदेवा प्रा०वि० तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4,5(100)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>59.41</u> <u>59.41</u> <u>44.76</u> <u>2.60</u> <u>56.81</u>	5.94	50.87	48.00
4	नि.ख.-3 गाजीपुर	करीमुद्दीनपुर से उँचाडीह पातेपुर पैकोली तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>58.06</u> <u>58.06</u> <u>35.54</u> <u>7.66</u> <u>50.40</u>	5.81	44.59	35.00
5	नि.ख.-3 गाजीपुर	विकास खण्ड मरदह अन्तर्गत मटेंहु गाई धरिहां सलामतपुर मार्ग के किमी 4 से महिपालपुर तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4(430)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>47.91</u> <u>47.91</u> <u>29.29</u> <u>3.43</u> <u>44.48</u>	4.79	39.69	30.00
6	नि.ख.-3 गाजीपुर	बाराचवर अन्तर्गत पखनपुरा तक दुबिहा तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>46.42</u> <u>46.42</u> <u>25.11</u> <u>4.79</u> <u>41.63</u>	4.64	36.99	29.10
7	नि.ख. चंदौली	वायापुर घुरहपुर मार्ग (वाया रसिया, बंगालीपुर, खरौड़ा) के किमी०-2 में क्षतिग्रस्त ह्यूम पाईप पुलिया के स्थान पर 1x5मी० आर०सी०सी० स्लैब पुलिया व सुरक्षा दीवार का विशेष मरम्मत का कार्य।	598 /2025/आई/1152431/23-1-25/002-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-24-11-2025	<u>61.39</u> <u>61.39</u> <u>51.04</u> <u>0.27</u> <u>61.12</u>	21.49	39.63	10.00
8	नि.ख. चंदौली	बेन धरौली रोड से घोडसारी गंदा नाला तक कि०मी संख्या Km-1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>51.73</u> <u>51.73</u> <u>41.98</u> <u>0.22</u> <u>51.51</u>	5.17	46.34	46.34
9	प्रा.ख. गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद किमी. 13 से अलावलपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य। (आबादी भाग में 675 मी. सी.सी. सहित)	598 /2025/आई/1152431/23-1-25/002-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-24-11-2025	<u>50.73</u> <u>50.73</u> <u>37.12</u> <u>0.03</u> <u>50.7</u>	17.75	32.95	30.42
10	प्रा.ख. गाजीपुर	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जनपद	16 /2026/आई/1199469/23-	<u>45.47</u> <u>45.47</u> <u>20.03</u>	15.91	29.47	27.2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		गाजीपुर में सैदपुर चिरैयाकोट किमी. 1 से निकलकर करमपुर राष्ट्रीय स्टेडियम होते हुए खानपुर बाजार तक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी-12 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2 गुणे 2, 2 सेल के बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	1-26/004-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-08-01-2026	<u>0.09</u> <u>45.38</u>			
11	नि.ख.-1 गाजीपुर	गाजीपुर चोचकपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	668 /2025 /आई /1169582/23-1-25/003-23-1002(002)/284 /2025-दिनांक-10-12-2025	<u>301.51</u> <u>301.51</u> <u>205.22</u> <u>2.00</u> <u>299.51</u>	5.52	293.99	150.00
12	नि.ख.-3 गाजीपुर	रेवसड़ा बसनियां मार्ग के कि.मी. 5 से टीकापुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	549/2025/आई/1136513 /23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-07-11-2025	<u>61.11</u> <u>61.11</u> <u>38.84</u> <u>3.00</u> <u>58.11</u>	21.39	36.72	28.00
13	प्रा.ख. गाजीपुर	भीमापार से प्यारेपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	549/2025/आई/1136513 /23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-07-11-2025	<u>55.29</u> <u>55.29</u> <u>34.09</u> <u>0.14</u> <u>55.15</u>	19.35	35.80	33.04
14	प्रा.ख. गाजीपुर	इकरा गौरा मेन रोड से कौड़ा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	549/2025/आई/1136513 /23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-07-11-2025	<u>60.56</u> <u>60.56</u> <u>37.42</u> <u>0.10</u> <u>60.46</u>	21.20	39.26	36.24
15	प्रा.ख. गाजीपुर	पाण्डेयपुर राधे सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य। (आबादी भाग में 0.700 किमी. सी.सी. सहित)	549/2025/आई/1136513 /23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-07-11-2025	<u>60.05</u> <u>60.05</u> <u>34.60</u> <u>0.23</u> <u>59.82</u>	21.02	38.80	35.81
16	प्रा.ख. गाजीपुर	टण्डवां से सहिचांदपुर होते हुए अनौनी इटहां सं.मार्ग तक सरकारी ट्यूबवेल होते हुए परसावां प्रतापीपुर सं.मार्ग कि०मी संख्या 1, 2, 3, 4(800)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>54.28</u> <u>54.28</u> <u>38.51</u> <u>0.33</u> <u>53.95</u>	5.43	48.52	45.82
17	प्रा.ख. गाजीपुर	गोरारी पिच मार्ग से नहर क्रास करते हुए सुल्तानीपुर वाया जगरनाथ उ० मा० वि० होते हुए शादियाबाद	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>42.86</u> <u>42.86</u> <u>32.31</u> <u>0.03</u> <u>42.83</u>	4.29	38.54	36.40

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		जखनियां मार्ग तक सं.मार्ग कि०मी संख्या 1, 2, 3					
	कुल योग-						638.43

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।
- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 6,38,43,000/- (रुपये छः करोड़ अड़तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

संख्या-503/2026/आई/1347743(1)/23-1-26/005-23-1002(002)/257/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा०मंत्री जी/मा०राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र०शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।